"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2017—भाद्र 17, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक ई-1-1/2017/एफ/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (सी.जी. 2001) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्रमांक ई-1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक ई-1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, संचालक, संपदा तथा संयुक्त सचिव, गृह विभाग को केवल संचालक, संपदा तथा संयुक्त सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक ई-1-7-2014/1/2.—राज्य शासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना क्रमांक 154/सीजीएच/2017-पी. एडमिन दिनांक 08-06-2017 के अनुक्रम में श्री सुब्रत साहू भा.प्र.से. (1992) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), को भारत निर्वाचन आयोग की सहमति अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अस्थायी रूप से प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्रमांक ई-1-21/2016/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1) (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उनके सम्मुख दर्शित तिथि से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-11) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	सुश्री नम्रता गांधी	24-07-2017	अपर कलेक्टर, कांकेर	अपर कलेक्टर, कांकेर

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक ई-1-1/2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटकर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), द्वारा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर केवल महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक ई-1-01/2017/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री सत्य नारायण राठौर, भा.प्र.से., (2008) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ करता है.

2/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

3/ श्री सत्यनारायण राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्रमांक ई-2-05/2017/एक/2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2017 द्वारा डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भाप्रसे (सी.जी. 1988) को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3 के उपनियम (3) के तहत् निलंबित किया गया था.

2. भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 25013/02/2017-AIS-II, दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा श्री बाबू लाल अग्रवाल, भा.प्र.से. (सी.जी.-1988) को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 16(3) के प्रावधानों के तहत् जनहित में सेवानिवृत्त किया गया है.

अत: पेंशन प्रयोजन से डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भाप्रसे (सीजी : 1988) को दिनांक 09 अगस्त, 2017 से निलंबन से बहाल किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक 1281/LV-18-26-2017-May/1-8/स्था..—श्री आर. एक्का, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 12-06-2017 से 16-06-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. एक्का, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. एक्का को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक 1283/LV-18-27-2017-Jun/1-8.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दिनांक 10-07-2017 से 14-07-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक 1285/LV-31-20-2017-Jun/1-8.—श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 27-06-2017 से 01-07-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक 1293/LV-19-43-2017-Jun/1-8/स्था.—श्री राजेश सिंगी, विशेष सहायक, माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 05-07-2017 से 13-07-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश सिंगी, आगामी आदेश तक विशेष सहायक, के पद पर मान. मंत्री, लोक निर्माण विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजेश सिंगी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक 1299/LV-35-53-2017-Jun/1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग को दिनांक 10-07-2017 से 19-07-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्बास खान आगामी आदेश आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अब्बास खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्बास खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक 1307/LV-6-19-2017-Jul/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का दिनांक 10-07-2017 से 14-07-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक 6606/970/PS Law/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जशपुर जिला जशपुर के पद पर नियुक्त श्री रामप्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला जशपुर (छ.ग.)को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 29-05-2016 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फसी मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिकत सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-2/01/2017/दो-गृह/भापुसे.—भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्र. 30012/01/2016-IPS-II दि. 03-08-2017 द्वारा श्री के. सी. अग्रवाल IPS (CH : 2002) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य को All India Service (DCRB) 1958 के निमय 16 (3) के प्रावधानों के तहत जनहित में सेवानिवृत्त किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में श्री के. सी. अग्रवाल IPS (CH : 2002) को भारत सरकार के आदेश के परिपालन में सेवानिवृत्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्रमांक एफ-2/01/2017/दो-गृह/भापुसे.—भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्र. 30012/01/2016-IPS-II दि. 03-08-2017 द्वारा श्री ए. एम. जूरी, IPS (CH : 2000) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य को All India Service (DCRB) 1958 के निमय 16 (3) के प्रावधानों के तहत जनहित में सेवानिवृत्त किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में श्री ए. एम. जूरी, IPS (CH : 2000) को भारत सरकार के आदेश के परिपालन में सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 07-07/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवनदेव, (भापुसे-1992), पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को दिनांक 03-07-2017 से दिनांक 14-07-2017 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-07-2017 एवं दिनांक 16-07-2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवनदेव आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पवनदेव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवनदेव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पवनदेव (भापुसे-1992), पुलिस महानिरीक्षक,अ.अ.वि. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय का चालू प्रभार श्री एच. के. राठौर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 07-12/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. रविशंकर, (भापुसे-2009), पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम को दिनांक 07-07-2017 से दिनांक 14-07-2017 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-07-2017 एवं दिनांक 16-07-2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला-कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रविशंकर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. रविशंकर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 3-62/2008/गृह-दो/.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

2. अत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (4) के अध्यधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में श्री भारत सिंह, (सेवानिवृत्ति पुलिस महानिरीक्षक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नियुक्त करता है.

3. शासकीय आवास गृह उपलब्ध नहीं कराया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 07-01/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री बालाजी राव सोमावर (भापुसे-2007), पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को दिनांक 21-07-2017 से दिनांक 27-07-2017 (कुल 07 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बालाजी राव सोमावर आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बालाजी राव सोमावर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बालाजी राव सोमावार (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बालाजी राव सोमावर (भापुसे-2007), पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर का चालू प्रभार श्री अभिषेक पाठक, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 07-02/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस.आर.पी. कल्लूरी, (भापुसे-1994), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 24-07-2017 से दिनांक 20-10-2017 (कुल 89 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-07-2017, 21-10-2017 एवं दिनांक 22-10-2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कल्लूरी आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कल्लूरी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.आर.पी. कल्लूरी (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-07/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा 1. विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 01-09/2016/10 (भावसे), दिनांक 07-07-2017 द्वारा श्री फुलजोंस टोप्पो, भा.व.से. (2005) संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर को मण्डल प्रबंधक, अंतागढ़ परियोजना मण्डल (प्रतिनियुक्ति पर छ.ग. राज्य वन विकास निगम) के पद पर पदस्थ किया गया है. श्री टोप्पो की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अमिताभ बाजपेयी, भा.वे.से. (2007) मण्डल प्रबंधक, कोटा परियोजना, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-07/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए.के. द्विवेदी, भा.व.से. (1984) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 20-88/2015/11-6.—भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में 01 अप्रैल 2012 से लागू सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012 ("Public Procurement Policy 2012 for Micro and Small Enterprises (MSEs) order 2012") के प्रावधानों का राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा स्थापित सहायक उद्योगों के हितवर्धन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार प्लांट लेबल कमेटी का गठन किया जाता है :—

1. **प्लांट लेबल कमेटी का स्वरूप—**

1.	अपर मुख्य सचिव/छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	अध्यक्ष
2.	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	—	सदस्य
3.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.	—	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.)/प्रबंध संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	—	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.)/प्रबंध संचालक साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, बिलासपुर.	—	सदस्य

6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.)/प्रबंध संचालक नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नगरनार (बस्तर)/बचेली/किरन्दुल.	—	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.)/प्रबंध संचालक नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, कोरबा (कोरबा), सीपत (बिलासपुर), लारा (रायगढ़)	—	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.)/प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनी लिमि.	—	सदस्य
9.	संचालक, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम संस्थान, भारत सरकार (राज्य कार्यालय रायपुर).	—	सदस्य
10.	राज्य प्रमुख, नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	—	सदस्य
11.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि.	—	सदस्य
12.	छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारतीय अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	—	सदस्य
13.	सार्वजनिक उपक्रमों में आपूर्ति से संबंधित औद्योगिक संघ/सहायक उद्योग संघों के अध्यक्ष.	—	सदस्य
14.	संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के संचालक (सार्वजनिक उपक्रमों में किये जाने वाले क्रय से संबंधित विभाग)	—	सदस्य सचिव

राज्य में स्थापित होने वाले भारत सरकार/राज्य शासन से सार्वजनिक उपक्रम भी समिति के सदस्य होंगे.

2. **समिति का कार्यक्षेत्र :—**

2.1 राज्य के सूक्ष्म एवं लघु तथा स्थापित सहायक उद्योगों का विपणन व भुगतान संरक्षण.

2.2 भारत सरकार की सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012 के तहत् प्रावधानिक सार्वजनिक उपक्रमों के कुल निविदा मूल्य के न्यूनतम 20% की राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा सहायक उद्योगों से आपूर्ति.

2.3 भारत सरकार सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012 के प्रावधानों का राज्य के औद्योगिक विकास के हित में क्रियान्वयन:—

2.3.1 निविदा में मूल्य कोटेशन.

2.3.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास.

2.3.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से आपूर्ति हेतु वार्षिक योजना.

2.3.4 संव्यवहार लागत में कमी.

2.3.5 अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों के भागीदारी.

2.4 सार्वजनिक उपक्रमवार सूक्ष्म, लघु एवं सहायक उद्योगों की समस्याओं व कठिनाईयों का निराकरण.

3. प्लांट लेवल कमेटी भारत सरकार/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमवार होगी. जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्र हेतु गठित प्लांट लेबल कमेटी में अन्य सार्वजनिक उपक्रम सदस्य नहीं होंगे.

4. प्लांट लेवल कमेटी की बैठकें सार्वजनिक उपक्रमों के फैक्ट्री स्थलों में होगी, आवश्यकतानुसार ये बैठकें राज्य शासन मंत्रालय में भी की जा सकेगी.

5. प्लांट लेवल कमेटी की बैठकें प्रत्येक 03 माह में होगी.

6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सार्वजनिक उपक्रमों से सबंधित औद्योगिक संघ/सहायक उद्योग संघ, संचालक सार्वजनिक उपक्रम से सतत् संपर्क व समन्वय बनाकर बैठकों का आयोजन करेंगे.

7. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं सहायक उद्योगों से क्रय किये गये उत्पादों/सेवाओं की समीक्षा की जावेगी एवं आवश्यकतानुसार राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं सहायक उद्योगों के प्रकरणों को/नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा गठित समिति को संदर्भित भी किया जावेगा.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 1-16/2017/11/(6).—बायलर अधिनियम,1923 की धारा 5 (4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गुंजन शुक्ला, वरिष्ठ निरीक्षक, वाष्पयंत्र रायपुर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ रायपुर का प्रभार दिनांक 01-08-2017 से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 4-24/56/इसूप्रौ/2017/eDistrict.—छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स अधिशासन) नियम, 2003 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के आदेश क्रमांक 817/सीए/एसआईटी/2003/चॉइस, रायपुर 19 अगस्त 2003, आदेश क्रमांक 198/अमुस/सूप्रौ/जै.प्रौ./2006/चॉइस, रायपुर 13-07-2006 एवं आदेश क्रमांक 235/स./इले. एवं सूप्रौ./2015/ई-डिस्ट्रिक्ट, रायपुर दिनांक 30-03-2015 द्वारा घोषित अधिसूचित नागरिक सेवाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सेवाएँ एतद् द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाएँ घोषित की जाती है :—

1. **सहकारिता विभाग अंतर्गत**
   कार्यालय पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ अंतर्गत
   - नई फर्म का पंजीकरण.
   - नई सोसायटी का पंजीकरण.

2. **उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत**
   (अ) छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु
   - विद्यार्थियों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन.
   - विद्यार्थियों का ऑनलाईन आवेदन.

   (ब) छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु परीक्षा फार्म का ऑनलाईन आवेदन

3. **नापतौल विभाग अंतर्गत**
   - नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण.
   - विक्रेता अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण.
   - सुधारक अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण.

4. **स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत**
   - अंकसूची की प्रतिलिपि.
   - स्थानांतरण प्रमाण-पत्र.

5. **तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत**
   - स्थानांतरण प्रमाण-पत्र.
   - चरित्र प्रमाण-पत्र.
   - संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन.
   - संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों का भुगतान.
   - संस्था परितर्वन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

- संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों का भुगतान (नि:शक्तजन)
- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (नि:शक्तजन).

6. **खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत**
   - संघ/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता के आवेदनों का निराकरण.

7. **ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत**
   - बुनकर सहकारी समितियों एवं हथकरघा ईकाईयों के वित्तीय प्रस्ताव का निराकरण (संचालनालय एवं जिला स्तर पर).
   - शहतूत पौधारोपण विस्तार अंतर्गत पौधे एवं सहायता राशि के प्रदाय हेतु आवेदन पत्र.
   - परिवार मूलक/मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदाय करना.
   - छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं के अंतर्गत.
     - (i) शिल्पकारों हेतु पंजीयन का आवेदन पत्र.
     - (ii) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का पंजीयन.
     - (iii) स्व-सहायता समूहों/सहकारी समितियों का पंजीयन.
     - (iv) राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने बाबत् आवेदन पत्र.
     - (v) छ.ग.हस्तशिल्प विकास बोर्ड से औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन पत्र.
     - (vi) शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता का लाभ दिये जाने हेतु आवेदन पत्र.
     - (vii) जनश्री समूह बीमा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र.
     - (viii) भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में 04 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र के लिए शिल्पियों के बच्चों हेतु आवेदन पत्र.

8. **कृषि विभाग अंतर्गत**
   - जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिए नवीन पंजीयन एवं नवीनीकरण.
   - जिले में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण.
   - कृषि के प्रमाणित लेबल बीजों के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण.
   - शक्तिचालित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (कृषि/उद्यान संचालनालय).
   - नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप).
   - प्रमाणित बीजों के व्यवाय हेतु अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (उद्यानिकी).

9. **महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत**
   - स्वावलंबन योजना.

10. **जलसंसाधन विभाग अंर्तगत**
    - सिंचाई प्रदाय करने हेतु आवेदन.

11. **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत**
    - जन्म/मृत्यु पंजीयन (ग्राम पंचायत स्तर पर).
    - विवाह पंजीयन (ग्राम पंचायत स्तर पर).
    - नल कनेक्शन (ग्राम पंचायत स्तर पर).
    - भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा (ग्राम पंचायत स्तर पर).
    - स्ट्रीट लाईट (बल्ब एवं ट्यूब लाइट बदलना).
    - आवश्यक सफाई व्यवस्था.

12. **लोक निर्माण विभाग अंतर्गत**
    - बेरोजगार इंजीनियर पंजीयन हेतु.

13. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत**
    - आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक एवं योग स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन.

14. जनशक्ति नियोजन विभाग अंतर्गत

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवेदन.

15. जेल (गृह) विभाग अंतर्गत

- जेल नियमावली के अंतर्गत दण्डित बंदियों से मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा दिया जाना (केन्द्रीय जिला एवं उप जेल).

16. गृह (पुलिस) विभाग अंतर्गत

- थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी.
- सड़क दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना.
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर रहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण.
- प्राकृतिक आपदाओं (जिसमें पुलिस जांच या विवेचना की है) में पीड़ित परिवारों के राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन.
- सड़क दुर्घटना में घायलों को तात्कालिक राहत हेतु कार्यवाही
- किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओं के तहत आवेदन.
- प्रस्तुत शिकायत पर/आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही.

17. **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अंतर्गत**

- नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीनीकरण.
- उचित मूल्य दुकान का आवंटन जिला मुख्यालय एवं उसके अतिरिक्त.

18. **कृषि (मछलीपालन) विभाग अंतर्गत**

- विभागीय जलाशयों से स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने के इच्छुक संस्थाओं समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही.
- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना.
- बीमित मछुवारों की मृत्य/स्थायी अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना.
- हितग्राहियों के मछली पालन हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना.

19. **वन विभाग अंतर्गत**

- आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण.
- विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता व्यापारियों/बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.
- विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण.

20. **पशुधन कल्याण विभाग अंतर्गत**

- पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही.

21. **संस्कृति विभाग अंतर्गत**

- अभिलेखों का अवलोकन एवं प्रतिलिपि उपलब्ध कराना.

No. F 4-24/56/E&IT/2017/eDistrict.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003, the folowing services are hereby declared as notified citizen services in addition to the services notified in Order No. 817/CA/SIT/2003/CHOiCE Raipur August 19, 2003, Order No. 198/ACS/IT/BT/2006/CHOiCE Raiput Dated 13-07-2006 and order no. 237/S/E&IT/2015/eDistrict Raipur, dated 30-03-2015.

1. **Services under Cooperative Department**

Office of Registrar, Firms and Societies, Chhattisgarh

- Registration of New Firms.
- Registration of New Societies.

2. **Services under Higher Education Department**

(a) Admission process in Universities/Colleges of Chhattisgarh

- Online registration of students
- Online application of students

(b) Online Examination forms for Students under Universities/Colleges, Chhattisgarh.

3. **Services under Legal Metrology Department**

- New Manufacturer License Renewal.
- New Dealers License Renewal.
- New Maintenance License Renewal.

4. **Services under School Education Department**

- Copy of Mark sheet.
- Transfer Certificate.

5. **Services under Technical Education Department**

- Transfer Certificate.
- Character Certificate.
- Branch changes at the institution level.
- All types of refund at the institution level to the students.
- NOC for change of institution.
- All types of refund at the intitution level for disablad students.
- Transfer certificate for disabled students.

6. **Services under Sports and Youth Welfare Department**

- Applications for Financial Assistance to Associations/Organizations and Sport person under.

7. **Services under Rural industries Department**

- Solution of financial proposals of weavers' co-operative socicties and handloom units (At Directorate and District level).
- Application for the supply of plant and aid amount under Mulberry plantation expansion.
- Providing Subsidy under Family origin/margin money scheme.
- Schemes implemented under Chhattisgarh Handicrafts Development Board
  - (i) Application for registration of artisans.
  - (ii) Registration of businessmen working in the field of handicrafts.
  - (iii) Registration of self-help groups/co-operative socicties.
  - (iv) Application form for participating in State Level Handicrafts Award Competition.
  - (v) Application for sanction of tools/workshop construction grant from Chhattisgarh Handicraft Development Board.
  - (vi) Application for providing monthly financial assistance benefits to artisans.
  - (vii) Application for joining Janshree Group Insurance.
  - (viii) Application for admission of children of craftsmen for the 04-year-old undergraduate program.

8. **Services under Agriculture Department**

- New Registration and Renewal for fortifizer Business in District.
- License/Renewal of Business for Plant Protection Medicines (Pesticides) in District.
- New Registration and Renewal for certified labeled seeds of agriculture.
- Powered Advanced Agricultrural Equipment Distribution (Directorate of Agriculture/Horticulture).
- Tube well plan (Farmer's prosperity and Tube-wells).
- New Registration and Renewal for certified seeds business (Horticulture).

9. **Services under Women and Child Development Department.**

- Swavlamban Yojana

10. **Services under Water Resources Department**

- Application for irrigation/supply of Water.

11. **Services under Panchayat and Rural Development (P & RD) Department**

- Birth/Death Registration (at Gram Panchayat level).
- Marriage registration (at Gram panchayat level).

- Tap connection (at Gram Panchayat level).
- Building/Repair Permission (at Gram Panchayat level).
- Street Light (Bulbs & Tube Lights).
- Necessary cleaning system.

12. **Services under Public Works Department**
    - Registration of unemployed engineers

13. **Services under Health and Family Welfare Department**
    - Registration of Medical Professionals for Ayurvedic/Yunani/Natrual and Yoga.

14. **Services under Manpower Planning Department**
    - Application for admission to Industrial Training Institutions.

15. **Services under Jail (Home) Department**
    - Facility of meeting and correspondance with the convicted prisoecrs (Central, District and Sub Jail level).

16. **Services under Police (Home) Department**
    - Information about the number of registered crimes in police stations.
    - Submit report under the Motor Vehicle Act for Road Accidents.
    - Submit report of the FIR filed under Scheduled Caste/Tribes Torture Prevention Act.
    - Application to Tehsildar for the relief of the afflicted families in natural disasters (which is under police investigation)
    - Action for immediate relief to the injured in road accidents.
    - Application under various insurance claims and compensation amount for any kind of Unnatural Death.
    - Proceeding on the application form for information on action taken on the submitted complaint/ application form.

17. **Services under Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department**
    - Acceptance/Renewal of license for trade under control order.
    - Allotment of Fair Price Shops in District Headquarters and others.

18. **Services under Agriculture (Fisheries) Department**
    - Action on the applications of group seeking interest from the department at resorvoirs on the basis of self interest.
    - Submission of pond lease to three-tier Panchayati Raj institutions.
    - To prepare the case of accidental sum insured for death/permanent disablement of insured fisher-men.
    - Submit a loan case for the fishries beneficiary.

19. **Services under forest Department**
    - License of Sawmill Renewal/Resolution
    - Designers of timber manufactures/carpenters and registration of consumers.
    - Approval or resolution of license for retail sale of specified forest produce.

20. **Services under Livestock Welfare Department**
    - Action taken on receipt of information on Animal Disease Disorders.

21. **Services under Department of Culture**
    - Provide an overview and copy of the records.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-1/2017/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 6 में, उप नियम (1) में खंड (क) में, शब्द "एवं साक्षात्कार द्वारा" का लोप किया जाये.

2. नियम 11 में, उप-नियम (2) में, खंड (दो) में, शब्द "उनके साक्षात्कार के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "कक्षा आठवी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स.क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दफ्तरी	16	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4750-7440 + ग्रेड वेतन 1400 (दफ्तरी भत्ता रु. 100)
2.	जमादार	03	—तदैव—	रु. 4750-7440 + ग्रेड वेतन 1400
3.	भृत्य	35	—तदैव—	रु. 4750-7440 + ग्रेड वेतन 1300
4.	चौकीदार	16	—तदैव—	रु. 4750-7440 + ग्रेड वेतन 1300

अनुसूची-दो
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		रिमार्क
			सीधी भर्ती	पदोन्नति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दफ्तरी	16	-	100%	-
2.	जमादार	03	-	100%	-
3.	भृत्य	35	100%	-	-
4.	चौकीदार	16	100%	-	-

अनुसूची-तीन
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भृत्य	18 वर्ष	30 वर्ष	कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
2.	चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष	कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 1-1/2017/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary Service (Class-IV) Recruitment Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), the words "by interview" shall be omitted.

2. In rule 11, in sub-rule (2), in clause (ii), for the words "after interviewing them", the words "on the merit basis of marks obtained in Class eighth examination" shall be subsituted.

3. For Schedule-I, II and III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No.	Name of post included in the Service	Name of Post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Daftari	16	Class IV	Rs. 4750-7440+Grade pay 1400 (Daftari Allowance Rs. 100/-)
2.	Jamadar	03	—do—	Rs. 4750-7440+Grade pay 1400
3.	Peon	35	—do—	Rs. 4750-7440+Grade Pay 1300
4.	Choukidar	16	—do—	Rs. 4750-7440+Grade Pay 1300.

SCHEDULE-II
(See rule 7)

S. No.	Name of post	Total number of Post	Percentage of the post to be filled		Remarks
			By direct recuritment	By promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Daftari	16	-	100%	
2.	Jamadar	03	-	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Peon	35	100%	-	
4.	Choukidar	16	100%	-	

SCHEDULE-III
(See rule 7)

S. No. (1)	Name of post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational qualification (5)
1.	Peon	18 years	30 years	Should have passed Class 8th examination.
2.	Choukidar	18 years	30 years	Should have passed Class 8th examination.

Note :— The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक 654/भू-अर्जन/2017.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बसना	बुटीपाली	26.260 हेक्ट.	बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को 1238 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए हेड वर्क निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम बुटीपाली.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-08-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान तहसील कार्यालय सरायपाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई हेतु हेड वर्क निर्माण हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 50 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रभावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. कुल 2441.39 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	बिलानाला जलाशय योजना से 13 ग्रामों को 1238 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं, इस हेतु कलेक्टर महासमुंद को राशि रु. 51889560.00 धनादेश क्र.-871027, दिनांक 27-02-2017 को जमा कर दिया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथी/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (2) के तहत् यह घोषित किया जाता है कि ग्राम कुम्हरावंड तहसील जगदलपुर की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक (1)	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव (2)	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें. (3)
1.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
2.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.

(1)	(2)	(3)
5.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
6.	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
7.	पशु बड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
8.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता.
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक 03-07-2017 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2014-15.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (2) के तहत् यह घोषित किया जाता है कि ग्राम छापरभानपुरी तहसील तोकापाल की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
1.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
2.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
5.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
6.	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
7.	पशु बड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.

(1)	(2)	(3)
8.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता.
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक 11-07-2017 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-पड़िगांव, प.ह.नं.-37, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 0.704 हे. केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11 (1) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 10-07-2015 कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण—

ग्राम—पड़िगांव, प.ह.नं. 37

खसरा नं. (1)	रकबा (हे.) (2)
1289/1घ	0.057
योग 1 कुल ख. नं. रकबा	**0.057 हेक्टेयर**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधीकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 जुलाई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2014-15.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-ओड़ेकेरा, प.ह.नं.-33, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 1.010 हे. केलो परियोजना के

झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत तेलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 10-07-2015 तथा दिनांक 22-07-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93(1) के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण—

ग्राम—ओड़ेकेरा, प.ह.नं. 33

	खसरा नं. (1)	रकबा (हे.) (2)
	152/1 क	0.102
योग	**1 कुल ख. नं. रकबा**	**0.102 हेक्टेयर**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधीकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक 1886/22/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-उदयपुर
(ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.350 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	98/7	0.074
	111	0.065
	108	0.041
	98/8	0.053
	110/2	0.008
	113	0.020
	110/1	0.089
योग	7	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर-धनवार रोड से एस एच 2 ए 191.40 से जजगा विटकीपारा-मोहनपुर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-साल्ही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.977 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/8	0.077
35/783/1	0.093
1/50	0.077
35/2	0.016
35/783/2	0.093
1/779/2	0.770
63	0.275
61	0.056
1/779/6	0.020
62/1	0.036
46/1	0.095
751/1	0.002
64/1	0.099
45/2	0.006
59/2	0.002
751/2	0.002
64/2	0.050
47/5	0.748
69/1	0.045
326/1	0.121
294/791/3	0.253
69/3	0.045
326/2	0.121
294/791/4	0.253
69/4	0.045
326/3	0.122
294/791/5	0.255
325/3	0.026
325/4	0.027
319/3	0.097
339/2	0.077
68/1	0.129
1/779/8	0.038
62/2	0.036
681/2	0.987
315/1	0.204
767/7	0.302
317/1	0.020
68/2	0.171
319/2	0.179
1/778/1	0.270
1/778/2	0.008
1/778/3	0.053
1/779/3	0.037
1/779/7	0.037
47/1	0.131
47/7	0.012
65/1	0.123
65/2	0.124
65/3	0.247
47/6	0.092
328/4	0.094
325/1	0.026
324/1	0.115
325/2	0.026
294/791/2	0.104
294/791/1	0.400
319/1	0.137
319/4	0.080
339/1	0.140
318	0.287
317/2	0.008
317/3	0.004
311	0.340
294/791/1	0.012
योग 65	8.977

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेलवे लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरन कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-तोकापाल

(ग) नगर/ग्राम-छापरभानपुरी, प.ह.नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.57 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	368	0.05
	383	0.04
	366, 364, 811	0.93
	384	0.05
	805/1	0.05
	805/2	0.12
	812/1	0.05
	813	0.20
	807	0.05
	808	0.03
योग	10	1.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इन्द्रावती नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
High Court Premises Bilaspur

Bilaspur, the 1st August 2017

Ref. No. SBC/CG/General Body/2017/571.—छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के नियम 10 (1) एवं (2) के अंतर्गत परिषद् की द्वि-वार्षिक चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें माननीय निम्न पदाधिकारीगण निर्वाचित हुए :—

श्री प्रभाकर सिंह चन्देल, अधिवक्ता — अध्यक्ष
हाईटेक बस स्टेण्ड के सामने मण्डपम् बारात घर के पास,
तिफरा बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 9301196521

श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता — उपाध्यक्ष
मकान नं.-6, सहकारी मार्ग-1 चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
मो. 98261-65655

श्री आलोक कुमार गुप्ता, अधिवक्ता उपाध्यक्ष
बृहस्पति बाजार के पास, तिलक नगर बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 98271-83955

श्री अब्दुल वहाब खान, अधिवक्ता कोषाध्यक्ष
लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 98274-95799

Bilaspur, the 16th August 2017

संशोधन

Ref. No. SBC/CG/General Body/2017.—छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के नियम 10 (1) एवं (2) के अंतर्गत परिषद् की द्वि-वार्षिक चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें माननीय निम्न पदाधिकारीगण निर्वाचित हुए :—

श्री प्रभाकर सिंह चन्देल, अधिवक्ता अध्यक्ष
हाईटेक बस स्टेण्ड के सामने मण्डपम् बारात घर के पास,
तिफरा बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 9301196521

श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता उपाध्यक्ष
मकान नं.-6, सहकारी मार्ग-1 चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
मो. 98261-65655

श्री आलोक कुमार गुप्ता, अधिवक्ता उपाध्यक्ष (कार्यकारी)
बृहस्पति बाजार के पास, तिलक नगर बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 98271-83955

श्री अब्दुल वहाब खान, अधिवक्ता कोषाध्यक्ष
लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
मो. 98274-95799

अमित कुमार वर्मा,
सचिव.

कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

क्वा. नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/सी.जी./फार्मा./निर्वा./2017/56.—कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक सी.जी./फार्मा/निर्वा/2017/02 दिनांक 21-07-2017 के तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन छः (6) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है. निर्वाचन हेतु 34 उम्मीदवारों से कुल 42 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए 8 उम्मीदवारों के दो-दो नाम निर्देशन पत्र

हुए. इस प्रकार प्राप्त सभी 42 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, दावा आपत्ति की सुनवाई तथा नाम निर्देशन वापसी के पश्चात्

वैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री अश्विनी कुमार गुर्देकर, रायपुर
02. श्री पल्लव श्रीवास्तव, रायपुर
03. श्री सुरेश कुमार चन्द्राकर, रायपुर
04. श्री हीरा शंकर साहू, दुर्ग
05. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़
06. श्री राहुल वर्मा, रायपुर
07. श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग
08. रवीन्द्र कुमार चन्द्राकर, बिलासपुर
09. श्री उमा कान्त साहू, कोण्डागांव
10. श्री दीपक कुमार विश्वास, कोरबा
11. श्री राधे श्याम, सरगुजा
12. श्री प्रतीक कुमार भट्टर, रायपुर
13. श्री गुलाब चन्द साहू, रायगढ़
14. श्री केशरमल अग्रवाल, दुर्ग
15. श्री मोहम्मद इरफान शेख, महासमुन्द
16. श्री अमर लाल पंजवानी, रायपुर
17. श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
18. श्री राम सजीवन साहू, बलौदाबाजार
19. श्री अश्वनी विग, रायपुर
20. श्री अमन दास आनन्द, महासमुन्द
21. श्री मनोहर कुमार जेठानी, रायपुर
22. श्री विजय कुमार पारख, दुर्ग
23. श्री दीपक गिरडकर, रायपुर
24. श्री योगेश्वर चन्द्रम, रायगढ़
25. श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, राजनांदगांव
26. श्री शेखर वर्मा, बिलासपुर
27. श्री सूरज प्रताप सिंह, मुंगेली
28. श्री संदिप बजाज, रायपुर
29. श्री वैभव शास्त्री, बिलासपुर
30. श्री दीपेन्द्र सोनी, रायपुर
31. अविनेश चन्द्राकर, रायपुर

अवैध पाये गये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री तरूण कुमार त्रिपाठी, कोरबा
02. श्री अरूण कुमार मिश्रा, रायपुर
03. जयपाल सिंह राठौर, जांजगीर-चांपा.

दो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
02. श्री अश्वनी विग, रायपुर
03. श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर
04. मनोहर, जेठानी, रायपुर
05. श्री राधेश्याम अग्रवाल, सरगुजा
06. श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग
07. श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, राजनांदगांव
08. श्री मोहम्मद इरफान, महासमुन्द

वैध नाम निर्देशन पत्र वापस लेने वाले उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री उमा कान्त साहू, कोण्डागांव
02. श्री गुलाब चन्द साहू, रायगढ़
03. श्री राम सजीवन साहू, बलौदाबाजार
04. श्री प्रतीक भट्टर, रायपुर
05. श्री दीपक कुमार बिश्वास, कोरबा

निर्वाचन हेतु नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम निम्नानुसार है :—

01. श्री अजय सिंह राजपूत, दुर्ग
02. श्री अमन दास आनन्द, महासमुन्द
03. श्री अमर लाल पंजवानी, रायपुर
04. श्री अश्वनी विग, रायपुर
05. श्री अश्विनी गुर्देकर, रायपुर
06. श्री अविनेश चन्द्राकर, रायपुर
07. श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, राजनांदगांव
08. श्री दीपेन्द्र सोनी, रायपुर

09. श्री देवेन्द्र कुमार ताम्रकर, दुर्ग
10. श्री दीपक गिरडकर, रायपुर
11. श्री हीरा शंकर साहू, दुर्ग
12. श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, रायगढ़
13. श्री केशरमल अग्रवाल, दुर्ग
14. श्री मनोहर कुमार जेठानी, रायपुर
15. श्री मोहम्मद इरफान शेख, महासमुन्द
16. श्री पल्लव श्रीवास्तव, रायपुर
17. श्री राधे श्याम, सरगुजा
18. श्री राहुल वर्मा, रायपुर
19. श्री रविन्द्र कुमार चन्द्राकर, बिलासपुर
20. श्री संदिप बजाज, रायपुर
21. श्री शेखर वर्मा, बिलासपुर
22. श्री सूरज प्रताप सिंह, मुंगेली
23. श्री सुरेश कुमार चन्द्राकर, रायपुर
24. श्री विजय कुमार पारख, दुर्ग
25. श्री वैभव शास्त्री, बिलासपुर
26. श्री योगेश्वर चन्द्रम, रायगढ़

आर. एस. मण्डावी,
निर्वाचन अधिकारी.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर

ब्लाक–1 द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2017/668.—छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/725/120/2017/स्था/चार, नया रायपुर दिनांक 14-07-17 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त परिवीक्षाधीन, सहायक संचालक, के लिये विभागीय परीक्षा भाग–एक निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा नया रायपुर में आयोजित होगी :—

भाग–एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	अवधि (6)
1.	प्रथम (अ)	18-09-17	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित).	01.30 घंटे 10.30 से 12.00 बजे तक
2.	प्रथम (ब)	18-09-17	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित).	02.30 घंटे 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
3.	द्वितीय	19-09-17	मंगलवार	भारतीय संविधान एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
4.	तृतीय	19-09-17	मंगलवार	कोषालय लेखा एवं प्रशासन	03 घंटे 2.30 बजे से 5.30 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	चतुर्थ	20-09-17	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित).	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
6.	पंचम	20-09-17	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित).	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक
7.	षष्टम	21-09-17	गुरुवार	वृहत लेखाकर्म	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक
8.	सप्तम	21-09-17	गुरुवार	कंपनी लेखे	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक

एस. एस. ताण्डेय,
उप संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

कबीरधाम, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्रमांक/11194/वरि.लि./विस्थापन/जनरल/2017.—भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्रांतर्गत सम्मिलित भोरमदेव एवं चिल्फी परिक्षेत्र में वन्यप्राणियों के रहवास विकसित करने एवं जैविक दबाव पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उक्त क्षेत्र को मानव विहीन रखा जाना है. अत: उक्त परिक्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की स्वेच्छा व आपसी सहमति तथा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, कबीरधाम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र ग्राम पंचायत चौरा के आश्रित ग्राम थवरझोल में निवासरत 37 परिवारों का विस्थापन/पुनर्वासन किये जाने हेतु दिनांक 02-04-2017 को ग्राम पंचायत चौरा में आयोजित विशेष ग्राम सभा में विस्थापित की जाने वाली 37 पात्र परिवारों की प्राप्त सूची का आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 26-04-2017 को प्रकाशित किया गया था.

निर्धारित अवधि समाप्त होने एवं किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण विशेष ग्राम सभा दिनांक 24-05-2017 को अंतिम रूप से पात्र पाये गये 37 परिवारों के पुनर्विस्थापन के उद्देश्यों एवं विस्थापन के एवज में एन.टी.सी.ए. के गाईडलाईन्स के आधार पर प्रति परिवार राशि रु. 10.0 लाख कैम्पा मद से भुगतान किये जाने हेतु भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर जिला कबीरधाम द्वारा 37 विस्थापित परिवारों को राशि चरणबद्ध अनुसार दिया जावेगा. अत: भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र ग्राम पंचायत चौरा के आश्रित ग्राम थवरझोल में निवासरत 37 परिवारों (संलग्न सूची अनुसार) का विस्थापन/पुनर्वास की कार्यवाही प्रारंभ की जावे.

नीरज कुमार बन्सोड,
कलेक्टर.

ग्राम थवरझोल में दिनांक 24-05-2017 को आयोजित ग्राम सभा में पुनर्विस्थापन हेतु पात्र पाये जाने वाले 37 परिवारों की सूची

क्र.	परिवार मुखिया का नाम	उम्र	पिता का नाम	उम्र	पत्नि एवं 18 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के नाम	सदस्यों की उम्र	परिवार क्रमांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(1) मुखिया का नाम — स्व. सोनऊ बैगा				
1.	ननकुसिया जौ. स्व. सोनऊ बैगा	100	—	—	—	—	01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	मानसिंह बैगा	71	स्व. सोनऊ बैगा	—	शामकुंवर जौ. मानसिंह बैगा	68	02	
3.	रघ्घुनाथ बैगा	35	मानसिंह बैगा	71	1. सगनी बाई जौ. रघ्घुनाथ बैगा	30	03	
					2. हसन व. रघ्घुनाथ बैगा	12		
					3. परमेश्वर व. रघ्घुनाथ बैगा	01		
4.	जग्गू सिंह बैगा	30	मानसिंह बैगा	71	1. सुखयारिन जौ. जग्गुसिंह बैगा	25	04	
					2. राज बाई व. जग्गुसिंह बैगा	15		
					3. सुनिता व. जग्गुसिंह बैगा	10		
					4. गोपी व. जग्गुसिंह बैगा	05		
					5. किशन व. जग्गुसिंह बैगा	03		
					6. अनिता व. जग्गुसिंह बैगा	01		
5.	श्रीराम बैगा	54	स्व. सोनऊ बैगा	—	1. सनियारो बाई जौ. श्रीराम बैगा	49	05	
					2. गणेश व. श्रीराम बैगा	17		
6.	धनी राम बैगा	27	श्रीराम बैगा	54	1. गणेशा बाई जौ. धनी राम बैगा	23	06	
					2. सुनीत व. धनीराम बैगा	10		
					3. अनीता व. धनीराम बैगा	08		
7.	धनेसिंह बैगा	24	श्री राम बैगा	54	1. अगनी बाई जौ. श्री राम बैगा	21	07	
8.	नीरा बाई बैगा	29	जौ. स्व. मनी राम बैगा	—	1. सुनीता व. स्व. मनीराम बैगा	12	08	
					2. मंगल व. स्व. मनीराम बैगा	07		
9.	बाजूराम बैगा	51	स्व. सोनऊ बैगा		1. बतीबाई जौ. बाजूराम बैगा	42	09	
					2. अघनिया व. बाजूराम बैगा	16		
					3. बगस व. बाजूराम बैगा	12		
					4. सुखबाई व. बाजूराम बैगा	10		
					5. रजनीबाई व. बाजूराम बैगा	08		
					6. राजेश्वरी व. बाजूराम बैगा	03		
10.	सबल सिंह बैगा	30	बाजूराम बैगा	51	1. जानकी बाई जौ. बलराम बैगा	25	10	
					2. दिपा व. सबलसिंह बैगा	02		
11.	बलराम बैगा	23	बाजूराम बैगा	51	1. जगोतिन जौ. बलराम बैगा	20	11	
					2. मईकलाल व. सबलराम बैगा	02		
12.	गुल्ठा बैगा	45	स्व. सोनऊ बैगा	—	1. मनकी बाई जौ. गुल्ठा बैगा	40	12	
					2. हन्सु व. गुल्ठा बैगा	13		
					3. समारू व. गुल्ठा बैगा	09		
					4. मखनी व. गुल्ठा बैगा	02		
13.	मंहगीलाल बैगा	22	गुल्ठा बैगा	45	सवनी बाई जौ. मंहगीलाल बैगा	20	13	
14.	सजनू बैगा	35	स्व. सोनऊ बैगा	—	1. मंगलीबाई जौ. सजनू बैगा	30	14	
					2. सुमरौतिन व. सजनू बैगा	15		
					3. तुलसी व. सजनू बैगा	05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	सौखी लाल बैगा	21	सजनू बैगा	35	1. दुरपति जौ. सौखी लाल बैगा 2. नंदकुमारी व. सौखी लाल बैगा	19 02	15	
			(2) मुखिया का नाम — स्व. उदल बैगा					
1.	पंचू बैगा	48	स्व. उदल बैगा	—	1. बनहारिन जौ. पंचू बैगा	43	16	
2.	सुद्धसिंग बैगा	25	पंचू बैगा	48	1. माना बाई जौ. सुद्धसिंह बैगा	21	17	
			(3) मुखिया का नाम — स्व. लयसिंग बैगा					
1.	ईतवारी बैगा	45	स्व. लयसिंह बैगा	—	1. चरवाहिन जौ. ईतवारी बैगा 2. हिरवन बाई व. ईतवारी बैगा 3. हिरा व. ईतवारी बैगा 4. अवासु व. ईतवारी बैगा	43 10 07 05	18	
2.	बुद्धेलाल बैगा	21	ईतवारी बैगा	45	1. शाम बाई जौ. बुद्धेलाल बैगा 2. पवन सिंग व. बुद्धेलाल बैगा 3. रूखमणी व. बुद्धेलाल बैगा	19 03 01	19	
3.	सुधन बैगा	20	ईतवारी बैगा	45	सुमित्रा जौ. सुधन बैगा	18	20	
4.	सुध्धेलाल बैगा	22	ईतवारी बैगा	45	1. सुकबाई जौ. सुध्धेलाल बैगा 2. सैतवारी व. सुध्धेलाल बैगा	21 01	21	
			(4) मुखिया का नाम — स्व. नन्नुहा बैगा					
1.	बिगराहिन बाई	88	स्व. चतुरसिंग बैगा	—	—	—	22	
2.	सुक्कल बैगा	32	स्व. चतुरसिंह बैगा	—	1. चैतबाई जौ. सुक्कल बैगा 2. हिरदेलाल व. सुक्कल बैगा 3. हिरवंतीन व. सुक्कल बैगा 4. अश्वंतीन व. सुक्कल बैगा	28 12 09 05	23	
3.	हुजुर बैगा	51	स्व. नन्नुहा बैगा	—	1. सजनी बाई जौ. हुजुर बैगा 2. रजवंतिन व. हुजुर बैगा	49 12	24	
4.	भगेल सिंह बैगा	28	हुजुर बैगा	51	छोटी बाई जौ. भगेलसिंह बैगा	25	25	
5.	बृजलाल बैगा	21	हजुर बैगा	51	सुखबाई जौ. बृजलाल बैगा	19	26	
6.	हरनाम सिंह बैगा	20	हजुर बैगा	51	पंसारीन बाई जौ. हरनाम सिंह	19	27	
			(5) मुखिया का नाम — स्व. भद्दू बैगा					
1.	रतन बैगा	35	स्व. भद्दू बैगा		1. पंसारिन जौ. रतन बैगा 2. कम्हारू व. रतन बैगा	30 10	28	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. रोहित व. रतन बैगा	07		
					4. सुखमन व. रतन बैगा	04		
					5. दुरति व. रतन बैगा	02		
2.	गरबलाल बैगा	18	स्व. भद्दू बैगा		—	—	29	21
			(6) मुखिया का नाम — स्व. जयसिंह बैगा					
1.	सगनी बाई जौ. जयसिंह बैगा	80	—	—	—	—	30	
2.	थानसिंह बैगा	56	स्व. जयसिंह बैगा	—	—	—	31	
3.	सालिक राम बैगा	28	थानसिंह बैगा	56	कोठारिन जौ. सालिक राम बैगा	23	32	
4.	सारिस राम बैगा	19	थानसिंह बैगा	56	सैबिन बाई जौ. सारिसराम बैगा	18	33	
5.	नानसिंग बैगा	51	स्व. जयसिंग बैगा	—	1. सातो बाई जौ. नानसिंह बैगा	47	34	
					2. धर्मेन्द्र व. नानसिंह बैगा	16		
					3. माया व. नानसिंह बैगा	10		
6.	बीरसिंग बैगा	36	स्व. जयसिंह बैगा	—	1. चित्ररेखा बाई जौ. बीरसिंह बैगा	23	35	
					2. पंचवंतिन व. बीरसिंह बैगा	15		
					3. दीपकुमार व. बीरसिंह बैगा	02		
7.	दिनेश बैगा	19	बीरसिंग बैगा	26	1. सुखिया बाई जौ. दिनेश बैगा	18	36	
			(7) मुखिया का नाम —उपासी बैगा, उम्र 62 वर्ष					
1.	रमेश बैगा	48	उपासी बैगा	62	पन्तीन बाई जौ. रमेश बैगा	30	37	

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्रमांक 1626/स्था/छगरासूआ/17.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (2) में दिए गए प्रावधान के अनुपालन में श्री जवाहर श्रीवास्तव, राज्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर दिनांक 24-08-2017 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होंगे.

हस्ता./-
सचिव.

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 4 मई 2017

क्रमांक/57/रा.नि.का./2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत् तहसील के ग्रामों को पटवारी हल्कों में विभाजित करने तथा किसी विद्यमान पटवारी हल्के की सीमा में परिवर्तन कर नवीन हल्कों को सृजन करने की प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-1-108/2015/सात-4 नया रायपुर दिनांक 27-09-2016 द्वारा जिले के लिये स्वीकृत 23 पटवारियों के नवीन पद संख्या के अनुरूप हल्कों का पुनर्गठन हेतु तहसीलवार नगरीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत आने वाले पुराने 26 हल्कों के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार नये 23 हल्के सृजित करने का आदेश किया जाता है.

हल्का पुनर्गठन की सूची जिला-रायगढ़

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	पुराना प.ह.नं. (3)	ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र का नाम (4)	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव/गांवों का नाम (5)	जनसंख्या (6)	प्रस्तावित प.ह.नं. (7)
1.	रायगढ़	6	उच्चभिट्ठी	उच्चभिट्ठी	2605	यथावत
			योग — 1	**1**	**2605**	
2.	रायगढ़	6	कोकड़ीतराई (नगर पंचायत)	कोकड़ीतराई	13102	61
			योग— 1	**1**	**13102**	
3.	पुसौर	5	कोड़ातराई	कोड़ातराई	3500	यथावत
			योग— 1	**1**	**3500**	
4.	पुसौर	5	बेलपाली	बेलपाली	650	42
		5	डूमरपाली	डूमरपाली	917	
				कुंजेडबरी	486	
			योग— 2	**3**	**2053**	
5.	पुसौर	28	बाघाडोला	बाघाडोला	1293	यथावत
		28	गुडू	गुडू	878	
			योग— 2	**2**	**2171**	
6.	पुसौर	28	पुसौर (नगर पंचायत)	पुसौर	4744	43
			योग— 1	**1**	**4744**	
7.	खरसिया	11	बोतल्दा	बोतल्दा	2925	यथावत
			योग— 1	**1**	**2925**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	खरसिया	11	पतरापाली	पतरापाली	680	40
				उल्दा	882	
		11	छोटेदेवगांव	छोटेदेवगांव	817	
				आमाडोल	221	
			योग— 2	**4**	**2600**	
9.	खरसिया	23	मौहापाली	मौहापाली	2988	यथावत
			योग— 1	**1**	**2988**	
10.	खरसिया	23	अंजोरीपाली	अंजोरीपाली	1219	41
		23	बाम्हनपाली	बाम्हनपाली	909	
			योग— 2	**2**	**2128**	
11.	सारंगढ़	3	कोसीर	कोसीर	4755	यथावत
		3	भाठागांव	भाठागांव	1104	
			योग— 2	**2**	**5859**	
12.	सारंगढ़	3	बटाउपाली (अ)	बटाउपाली (अ)	1080	57
		3	सिलियारी	सिलियारी	906	
			योग— 2	**2**	**1986**	
13.	सारंगढ़	12	साल्हे	साल्हे	1256	यथावत
				दलाल	286	
				अचानकपाली	713	
		12	बोरिदा	बोरिदा	996	
				परसापाली	247	
			योग— 2	**5**	**3498**	
14.	सारंगढ़	12	कलमी	कलमी	1106	58
		15	बरभांठा अ	बरभांठा अ	971	
			योग— 2	**2**	**2077**	
15.	सारंगढ़	15	छिन्द	छिन्द	2917	यथावत
			अमलीपाली (अ)	अमलीपाली (अ)	1019	
			योग— 2	**2**	**3936**	
16.	सारंगढ़	20	कुधरी	कुधरी	807	यथावत
		20	कटेकोनी	कटेकोनी	1219	
			योग— 2	**2**	**2026**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	सारंगढ़	20	कटेली	कटेली	1596	59
				कोतमरा	980	
			योग— 1	**2**	**2576**	
18.	सारंगढ़	21	चंदाई	चंदाई	1051	यथावत
		21	रापागुला	रापागुला	1084	
				भैजनार	321	
			योग— 2	**3**	**2456**	
19.	सारंगढ़	22	गोड़िहारी	गोड़िहारी	2763	यथावत
				हरिहरपाली (विरान)	0	
				दुर्गापाली	951	
			योग— 3	**3**	**3714**	
20.	सारंगढ़	21	सारंगढ़ (नगर पालिका परिषद)	खैराहा	486	
		21		जुनाडीह	401	60
		22		कुटेला	767	
		22		भोजपुर	490	
			योग— 1	**4**	**2144**	
21.	सारंगढ़	29	चंवरपुर	चंवरपुर	324	यथावत
				बरदरहा	330	
				भंवरपुर	668	
				विजयपुर	166	
				कंवलाझर	463	
			योग— 1	**5**	**1951**	
22.	सारंगढ़	22	सारंगढ़ (नगर पालिका परिषद्)	चिंगरीपाली	187	61
		29		सहसपुर	468	
		29		विशालपुर	246	
			योग— 1	**3**	**901**	
23.	सारंगढ़	25	रेड़ा	रेड़ा	3073	यथावत
			योग— 1	**1**	**3073**	
24.	सारंगढ़	25	सुलोनी	सुलोनी	1098	62
		25	सुन्दराभांठा	सुन्दराभांठा	608	
				नकाईनटार	479	
			योग— 2	**3**	**2185**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	सारंगढ़	43	गुड़ेली	गुड़ेली	2309	यथावत
				सरसरा	144	
				सेन्दुरस	48	
				पठारीपाली (विरान)	0	
			योग— 1	**4**	**2501**	
26.	सारंगढ़	43	धौराभांठा	धौराभांठा	436	63
				लालाधुरवा	635	
		43	बंजारी	बंजारी	922	
				जोगनीपाली	144	
			योग— 2	**4**	**2137**	
27.	बरमकेला	16	नदीगांव	नदीगांव	854	यथावत
				परसरामपुर	398	
			योग— 1	**2**	**1252**	
28.	बरमकेला	16	सरिया (नगर पंचायत)	सरिया	6927	44
			योग— 1	**1**	**6927**	
29.	बरमकेला	17	भठली	भठली	1455	यथावत
		17	सूरसी	सूरसी	617	
				सूरजगढ़	495	
			योग— 2	**3**	**2567**	
30.	बरमकेला	17	रानीडीह	रानीडीह	491	45
				कोर्रा	569	
		17	पोरथ	पोरथ	858	
				तोरा	760	
				जयपुर	113	
			योग— 2	**5**	**2791**	
31.	बरमकेला	26	बुदेली	बुदेली	962	यथावत
		26	खिचरी	खिचरी	564	
				दुलमपुर (विरान ग्राम)	0	
			योग— 2	**3**	**1526**	
32.	बरमकेला	26	बरमकेला (नगर पंचायत)	बरमकेला	5600	46
				चनामुड़ा		
				खरवानी		
			योग— 1	**3**	**5600**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	लैलूंगा	8	बांसडांड़	बांसडांड़	1462	यथावत
		8	सरडेगा	सरडेगा	1085	
			योग— 2	**2**	**2547**	
34.	लैलूंगा	8	गहनाझरिया	गहनाझरिया	4519	36
			योग— 1	**1**	**4519**	
35.	लैलूंगा	12	झरन	झरन	969	यथावत
				पहाडलुडेग	841	
			योग— 1	**2**	**1810**	
36.	लैलूंगा	12	लैलूंगा (नगर पंचायत)	लैलूंगा	8208	37
			योग— 1	**1**	**8208**	
37.	लैलूंगा	34	तोलमा	तोलमा	2458	यथावत
			योग— 1	**1**	**2458**	
38.	लैलूंगा	34	चंवरपुर	चंवरपुर	1390	38
		34	सिहारधार	सिहारधार	1008	
			योग— 2	**2**	**2398**	
39.	धरमजयगढ़	21	कापू	कापू	2484	यथावत
			योग— 1	**1**	**2484**	
40.	धरमजयगढ़	21	अलोला	अलोला	1381	54
		21	सकालो	सकालो	517	
		21		इंदकालो	508	
			योग— 2	**3**	**2406**	
41.	धरमजयगढ़	22	लिप्ती	लिप्ती	1099	यथावत
		22	गोलाबुडा	गोलाबुडा	1132	
			योग— 2	**2**	**2231**	
42.	धरमजयगढ़	22	तालगांव	तालगांव	986	55
		22	गोढ़ीखुर्द	गोढ़ीखुर्द	1036	
			योग— 2	**2**	**2022**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	धरमजयगढ़	32	दर्रीडीह	दर्रीडीह	1248	यथावत
			योग— 1	**1**	**1248**	
44.	धरमजयगढ़	32	धरमजयगढ़ (नगर पंचायत) विजयपुर का मोहल्ला, लामबहरी, दर्रीडीह	धरमजयगढ़	14354	56
			योग— 1	**1**	**14354**	
45.	धरमजयगढ़	37	पोटिया	पोटिया	893	यथावत
				कानाकूला	176	
		37	सागरपुर	सागरपुर	529	
				बागडाही	359	
			योग— 2	**4**	**1957**	
46.	धरमजयगढ़	37	आमापाली	आमापाली	811	57
				आमगांव	734	
		38	गेरसा	गेरसा	1664	
			योग— 2	**3**	**3209**	
47.	धरमजयगढ़	38	नागदरहा	नागदरहा	1088	यथावत
				छेरचुची	55	
		38	सिवार	सिवार	702	
				पंडरीपानी खुर्द	327	
			योग— 2	**4**	**2172**	
48.	धरमजयगढ़	53	चंद्रशेखरपुर	चंद्रशेखरपुर	2423	यथावत
		53	पुसल्दा	पुसल्दा	1475	
			योग— 2	**2**	**8242**	
49.	धरमजयगढ़	53	बेहरामुड़ा	बेहरामुड़ा	1005	58
		53	एड़ूकला	एड़ूकला	912	
			योग— 2	**2**	**1917**	
			कुल योग		**यथावत — 26** **नवीन हल्के— 23**	

अलरमेलमंगई डी.,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/2942.—कार्यालयीन आदेश क्र. बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/5492, रायपुर दिनांक 07-12-2016 द्वारा श्रीमति नमिता मारकोले, (नायब तहसीलदार) प्रभारी तहसीलदार छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4745/ज्ये.लि./2017 राजनांदगांव दिनांक 24-06-2017 द्वारा श्रीमति नमिता मारकोले, (नायब तहसीलदार) प्रभारी तहसीलदार छुईखदान के लंबी अवकाश पर होने के कारण श्रीमति प्रियंका देवांगन, नायब तहसीलदार छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति नमिता मारकोले (नायब तहसीलदार) प्रभारी तहसीलदार, छुईखदान के स्थान पर श्रीमति प्रियंका देवांगन, नायब तहसीलदार छुईखदान को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गण्डई जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/3268.—कार्यालयीन आदेश क्र. बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/1376-1377, रायपुर दिनांक 25-05-2016 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल सहायक संचालक (कृषि) प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव, जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-जशपुर का पत्र क्रमांक 396/स्थानीय निर्वा/2017, जशपुर दिनांक 24-07-2017 द्वारा श्री राकेश कुमार पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल सहायक संचालक (कृषि) प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) का स्थानांतरण अन्यंत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री राकेश कुमार पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पत्थलगांव जिला-जशपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

क्रमांक 142/दो-3-35/2008.—श्री सिप्रियल खेस्स, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 31-05-2017 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्त तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 14th July 2017

No. 931/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt-III).— (A) Shri Maneesh Kumar Thakur, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Registrar (Judicial) is appointed as Additional Registrar (D.E.&E.) in the Establishment of the High Court with effect from 14-07-2017.

(B) Smt. Mamta Shukla, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Registrar (D.E.&E.) is appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court with effect from 14-07-2017.

Bilaspur, the 21st July 2017

No. 942/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office ;

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Now posted in the capacity (4)
1.	Shri Rishi Kumar Burman	I Additional Judge to the Court of Additional District and Sessions Judge, Ramanujganj.	Additional District and Sessions Judge, Ramanujganj.

Bilaspur, the 21st July 2017

No. 945/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The Following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Shruti Shukla, Civil Judge Class-II.	Bhatgaon	Bilaspur	Bilaspur	IV Civil Judge Class-II
2.	Shri Pallve Raghuvanshi, IV Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bhatgaon	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 2nd August 2017

No. 974/Confdl./2017/II-2-2/2002 (Pt.-II).—The Following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby appointed to the category of District Judge (Super Time Scale) in the Pay-Scale of Rs. 70290-1540-76450 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Shri Vinay Kumar Kashyap, Disrtict and Sessions Judge, Kawardha.	27-07-2017

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Govind Kumar Mishra, District and Sessions Judge, Korba.	27-07-2017
3.	Shri Agralal Joshi, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	27-07-2017
4.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District and Sessions Judge, Raigarh.	27-07-2017
5.	Shri Kanwar Lal Charyani, Director Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur.	27-07-2017
6.	Shri Noordeen Tigala, District and Sessions Judge, Bilaspur.	27-07-2017
7.	Shri Narendra Singh Chawla, District and Sessions Judge Uttar Bastar (Kanker).	27-07-2017
8.	Smt. Minakshi Gondaley, Judge, Family Court, Mahasamund	27-07-2017
9,	Shri Ram Kumar Tiwari, District and Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur).	27-07-2017

Bilaspur, the 2nd August 2017

No. 976/Confdl./2017/II-2-3/2002 (Pt.-III).—The Following District Judges (Entry Level) as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby appointed to the category of District Judge (Selection Grade) of Rs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Selection Grade) (3)
1.	Shri sirajuddin Qureshi, Judge, Family Court, Dhamtari	27-07-2017
2.	Smt. Anita Dahariya, I Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.	27-07-2017
3.	Shri Abdul Zahid Qureshi, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Raipur.	27-07-2017
4.	Dr. Pragya Pachouri, Judge, Family Court, Rajnandgaon	27-07-2017
5.	Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Raigarh.	27-07-2017
6.	Shri Alok Kumar (Sr.) Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Ambikapur.	27-07-2017
7.	Shri Yogesh Pareek, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Korba.	27-07-2017
8.	Shri Uttara Kumar Kashyap, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Rajnandgaon.	27-07-2017

(1)	(2)	(3)
9.	Shri Govind Narayan Jangde, President District Consumer Disputes Redressal Forum, Rajnandgaon.	27-07-2017
10.	Shri Brijendra Kumar Shastri, I Additional District and Sessions Judge, Raigarh.	27-07-2017
11.	Smt. Satyabhama Ajay Dubey, I Additional District and Sessions Judge, Sakti.	27-07-2017
12.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Baikunthpur.	27-07-2017
13.	Shri Maneesh Kumar Thakur, Additional Registrar (D.E.) High Court, of C.G., Bilaspur.	27-07-2017
14.	Smt. Kiran Chaturvedi, Additional District and Sessions Judge, Kanker.	27-07-2017
15.	Shri Vijay Kumar Hota, Additional Secretary, Government of C.G., Law and Legislative Affairs Department, Raipur.	27-07-2017
16,	Shri Shakti Singh Rajput, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Rajnandgaon.	27-07-2017
17.	Smt. Dhaneshwari Sidar, Additional District and Sessions Judge, Khairagarh.	27-07-2017
18.	Shri Hirendra Singh Tekam, Additional District and Sessions Judge, Pendraroad.	27-07-2017
19.	Shri Satyendra Kumar Sahu, I Additional District and Sessions Judge, Durg.	27-07-2017
20.	Shri Jitendra Kumar, I Additional District and Sessions Judge, Raipur.	27-07-2017
21.	Mohd. Rizwan Khan, Chairman, Permanent Lok Adalat, Raipur.	27-07-2017
22.	Shri Shyam Lal Nawartana, Additional District and Sessions Judge, Pratappur.	27-07-2017
23.	Shri Mansoor Ahmed, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Durg.	27-07-2017
24.	Shri Chameshwar Lal Patel, Additional District and Session Judge, (F.T.C.), Dhamtari.	27-07-2017
25.	Smt. Vinita Warnar, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Kawardha.	27-07-2017
26.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, Additional Principal Judge, Family Court, Bilaspur.	27-07-2017
27.	Smt. Girija Devi Meravi, I Additional District and Sessions Judge, Surajpur.	27-07-2017

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.